न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः रतनलाल योगी, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 104/2014

उनवान

मीरा बनाम रामलाल

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

आदेश

दिनांक 31-01-2020

अधिवक्ता प्रतिवादी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के बारे में इस दावे से पहले ही माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद उनवानी रामलाल बनाम गोपी व अन्य जिसमें वादिया भी पक्षकार है, बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती ईन्द्राज तथा स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर रखा है जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। पक्षकारान के समस्त अधिकारों का निस्तारण उस वाद में हो सकता है वादिया अपना दावा उसी दावे में काउन्टर क्लेम के माध्यम से कर सकता था परन्तु उस दावे के विचाराधीन रहते हुए जानबूझकर न्यायालय में अनावश्यक रूप से मुकदमों का भार बढाने के लिए यह झूठा दावा पेश किया है जो स्पष्ट रूप से एक पश्चातवर्ती वाद होने से चलने योग्य नहीं है। यह दावा विधि द्वारा वर्जित है। विचाराधीन वाद उनवानी रामलाल बनाम गोपी वाद सं. 103/2014 आगामी पेशी 03.03.3016 नियत है। जिसमें समान विषयवस्तु, समान पक्षकार, समान विवाद्यक व अनतोष होने से इस दावे को जो बाद का है, को आगे विचारण हेतु आज्ञा नहीं दिये जाने योग्य है। अतः उक्त उनवानी वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पक्ष में दस्तावेज नकल आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय दिनांक 25.01.2018 एंव फोटो कॉपी दावा रामलाल बनाम गोपी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक पेश की साथ ही नज़ीरे आरआरडी-2000, आरआरडी-1998, आरआरडी-1999, डीएनजे-राज-2009(2) पेश किये।

अप्रार्थी/वादिया ने उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व के वाद व इस वाद में भिन्नता है। अप्रार्थीवादीगण ने इस वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही है, इस कारण प्रस्तुत दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यदि न्यायांलय चाहे तो दोनों दावों को कन्सोलिटेडेट कर सकती है। प्रतिवादी ने प्रकरण में जवाब न देकर मुकदमें को देरीना करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है जो आधारहीन है। प्रतिवादी को जवाब देने का समय भी समाप्त हो चुका है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। अप्रार्थी/वादी ने आपने जवाब प्रार्थना पत्र के पक्ष में दस्तावेज

Scanned by CamScanner

नकल आदेश दिनांक 18.07.2017 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश टोंक एंव नज़ीरें एआईआर–1987, डीएनजे–2012(2), डीएनजे–2009, डीएनजे–2009 पेश किये।

हमने प्रार्थनापत्र पर विद्वान वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एंव उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एंव नज़ीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस के दौरान दोनो पक्षो ने अपने अपने तथ्यों को दोहराया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एंव नज़ीरों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि के पक्षकारान सहखातेदार है। वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारों के मध्य एक अन्य वाद न्यायालय हाजा में ही रामलाल बनाम गोपी के उनवान से विचाराधीन है जो खातेदारी घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एंव स्थायी निषेधाज्ञा के लिए है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि को लेकर माननीय राज. उच्च न्यायालय में भी पिटीशन दायर किया हुआ है जिसमें आदेश दिनांक 25.01.2018 से पक्षकारान पाबन्द है। वादिया का दावा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए है जिसे लेकर न्यायालय हाजा में प्रकरण पूर्व में ही विचाराधीन है, जो मुख्य दावा होने के कारण उसमें स्थायी निषेधाज्ञा का बिन्दु शामिल है। इस प्रकरण में ही तनकीयात कायम की जाकर कानूनी प्रकिया पूर्ण करने के बाद कार्यवाही की जावेगी। इस प्रकार एक ही कृषि भूमि को लेकर अलग–अलग वाद चलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए वादिया द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा, मुख्य दावे के बाद में पेश किया गया है जिसे आंगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा निराधार हो गया है। वादिया द्वारा प्रस्तुत किया गये वाद में वास्तविक तथ्यों को जानबूझकर छुपाया गया है इस कारण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादिया द्वारा किया गया दावा कानूनी प्रावधानों का अनुचित फायदा उठाने के उद्देश्य से किया गया है। इस कारण प्रतिपक्षिगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

फलतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर वादिया द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा इस स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31-01-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रतनलाल योगी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner